अंग एवं ऊतक दान ऑप्ट आउट सिस्टम तथा आपके लिए इसका क्या अर्थ है

जब आप 16 वर्ष की आयु पर पहुंचते हैं, तो सम्भवत: आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में सोचना आरम्भ करते हैं, जैसे कि पढ़ाई या जॉब। एक निर्णय जिसके बारे में आप शायद सोचना चाहें, वह है क्या आप एक अंग एवं ऊतक दाता बनना चाहते हैं या नहीं।

इस पत्र का उद्देश्य यह है कि आपको स्कॉटलैण्ड में 16 वर्ष की आयु से लागू होने वाले अंग एवं ऊतक दान से सम्बन्धित कानून, तथा आपके पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में जागरुक बनाया जाए। यह कानून 'डीम्ड ऑथोराइजेशन' ('Deemed Authorisation') के नाम से जाना जाता है। इसे प्राय: 'ऑप्ट आउट' ('Opt Out') सिस्टम कहा जाता है, इसका अर्थ यह है कि आपकी मृत्यु होने पर ऐसा माना जाएगा कि आप अंगदान के लिए सहमत थे, जबतक कि आपने ऑप्ट आउट ना चुना हो।

आप एक अंगदाता बनना चाहते हैं या नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने विकल्पों के बारे में अगले पेज पर और अधिक विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। जब तक आप अपना निर्णय अभिलिखित नहीं कराएंगे, तब तक आपका नाम NHS Organ Donor Register (ODR) पर नहीं होगा, इसलिए चाहे आप एक अंगदाता बनना चाहें अथवा अंगदान से ऑप्टआउट करना चाहें, आपको अपना निर्णय ODR में अभिलिखित करवाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने निर्णय के बारे में अपने माता-पिता / संरक्षक, परिवार, मित्रों, अथवा अपने करीबी लोगों को बताएं, ताकि उन्हें जानकारी रहे कि आप क्या चाहते थे, ताकि वे यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकें कि आपके निर्णय का सम्मान हो।

NHS Organ Donor Register पर अपना निर्णय अभिलिखित करना

www.organdonationscotland.org पर **ऑनलाइन जाएं** या 0300 123 23 23 **पर टेलीफोन करें।** कॉल के लिए स्थानीय कॉल दरों पर शुल्क लिया जाएगा, जो कि आपकी नेटवर्क प्रदाता कम्पनी पर निर्भर करता है।

अथवा, **NHS Blood & Transplant, FREEPOST RRZKSHUX-SBCK, NHSBT, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol, BS34 8RR** पर एक पत्र भेज कर **एक पंजीकरण प्रपत्र का अनुरोध करें**। कृपया पत्राचार में अपना पूरा पोस्टल पता शामिल करें।

इस पत्र के अन्य प्रारूप तथा एक्सेसिबल पंजीकरण

यह पत्र Easy Read, British Sign Language, Braille, ऑडियो तथा लार्ज प्रिंट में उपलब्ध है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस पत्र का एक एक्सेसिबल प्रारूप में अनुरोध करने के लिए **www.organdonationscotland.org/resources** पर जाएं अथवा उपरोक्त सम्पर्क विवरण का प्रयोग करें।

आप अपना अंगदान निर्णय **टेक्स्ट चैट**: 07860 034343 या **टेक्स्ट रिले**: 18001 0300 1232323 द्वारा पंजीकृत कर सकते हैं। आप **ContactSCOTLAND-BSL www.contactscotland-bsl.org** से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जहां एक **वीडियो इंटरप्रेटर** कॉल्स रिले कर सकता है।

आपकी जानकारी के लिए, यह पत्र भेजने के प्रयोजन के लिए Scottish Government के पास आपके व्यक्तिगत डेटा का एक्सेस नहीं है। इस पत्र के विवरण में सहायता के लिए हमने NHS National Services Scotland से कहा है, जो इस डेटा की सुरक्षा एवं प्रबन्धन करते हैं। इसके बारे में आप और अधिक जानकारी **www.nhsnss.org/services/practitioner/data-protection** पर पा सकते हैं।

अंग एवं ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण नीति दल

यह कानून किस पर लागू होता है

यह कानून 16 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो मृत्यु के समय स्कॉटलैण्ड में 12 महीने से कम समय से रह रहा था अथवा ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो कानून को समझने में समर्थ ना होता, उदाहरण के लिए लर्निंग डिसएबिलिटी से पीड़ित कोई व्यक्ति। इन समूहों के व्यक्ति इसके बावजूद भी अपना निर्णय पंजीकृत करवा सकते हैं, परन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तथा उनकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में होती है जिसमें वे अंगदान कर सकते थे तो अंगदान के बारे में निर्णय लेने के लिए उनके परिवार से पूछा जाएगा।

आपका निर्णय

आप चाहे जो भी निर्णय लें – चाहे आप एक अंगदाता बनना चाहें अथवा अंगदान से ऑप्टआउट करना चाहें, आपको अपने माता-पिता / संरक्षक एवं परिवार को बताना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि आप क्या निर्णय लिया जाना चाहते। यदि आप अनिश्चित हैं कि आप अंगदान करना चाहते हैं या नहीं, तो माता-पिता / संरक्षक, विश्वसनीय वयस्क अथवा परिवार एवं मित्रों के साथ इस बारे में बातचीत करने से आपको कोई निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

आपकी पंसद

केवल लगभग 1% लोगों की ही मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है जिसमें अंगदान करना सम्भव होता है, इसलिए अंगदान का प्रत्येक अवसर बहुत ही मूल्यवान होता है। अंगदान एक व्यक्तिगत निर्णय है, तथा यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अंगदान करना चाहते हैं या नहीं। आप अपना निर्णय किसी भी समय बदल भी सकते हैं। आपके विकल्प ये हैं:

आप अंगदान से ऑप्ट आउट करने का अपना निर्णय NHS Organ Donor Register में अभिलिखित कर सकते हैं

- इसका अर्थ है कि आप सभी अंगों और ऊतकों का दान करने से ऑप्ट आउट कर रहे हैं।

यदि आप एक अंगदाता बनना चाहते हैं, तो आपको अपना यह निर्णय NHS Organ Donor Register में अभिलिखित करना चाहिए

- यदि आप ऐसा करते हैं, तो इसकी सहायता से आपके परिजनों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि आपके अंगदान निर्णय का सम्मान किया जाए।
- यदि आप कुछ विशेष प्रकार के अंग एवं ऊतकों का अंगदान करना चाहेंगे, परन्तु अन्य प्रकार के अंगों एवं ऊतकों का नहीं, तो आप अपना निर्णय अभिलिखित करते समय अपनी पसंद सुस्पष्ट रूप से बता सकते हैं।
- एक अंगदाता बनने का अपना निर्णय अभिलिखित करने का यह भी अर्थ है कि आप कुछ विशेष चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों से सहमत हैं जो कि अंगदान प्रक्रिया के अंग के रूप में आपकी मृत्यु से पहले निष्पादित की जा सकती हैं, जैसे कि रक्त या मूत्र नमूना अथवा एक्सरे/अल्ट्रासाउंड स्कैन आदि। यह सब करने से पहले स्पेशलिस्ट नर्स आपके परिजनों से बात करेंगी। **www.organdonationscotland.org/testsandprocedures** पर और अधिक जानकारी पाएं
- आप NHS Organ Donor Register में अभिलिखित कर सकते हैं कि क्या आपकी आस्था या विश्वास आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तथा आपके परिवार के साथ अंगदान चर्चा के हिस्से के रूप में इस पर विचार किया जाएगा।

यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तथा NHS Organ Donor Register पर अपना निर्णय अभिलिखित नहीं करते हैं

यदि आप कुछ नहीं करना चुनते हैं, तो आपका नाम NHS Organ Donor Register में नहीं होगा, तथा आपके लिए कोई भी निर्णय अभिलिखित किया हुआ नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि:

- आपकी मृत्यु होने पर यह माना जाएगा कि आप अंग-प्रत्यारोपण के लिए कुछ अंग एवं ऊतक दान करने के लिए सहमत हैं।
- फिर भी आपके नवीनतम विचारों के बारे में जानने के लिए आपके परिजनों एवं मित्रों से पूछा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आप ऐसा नहीं चाहते थे तो अंगदान ना किया जाए।
- इसका यह भी अर्थ होगा कि आप कुछ विशेष चिकित्सीय जांचों एवं क्रियाविधियों से सहमत हैं जो कि अंगदान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपकी मृत्यु से पहले निष्पादित की जा सकती हैं, जैसे कि रक्त या मूत्र नमूने अथवा एक्सरे / अल्ट्रासाउंड स्कैन आदि। यह सब करने से पहले स्पेशलिस्ट नर्स आपके परिजनों से बात करेंगी। **www.organdonationscotland.org/testsandprocedures** पर और अधिक जानकारी पाएं।

अंग एवं ऊतक दान के ऑप्ट आउट सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी, तथा यदि आप एक अंगदाता बनते हैं तो क्या होगा - के बारे में आप इस सूचना पत्रक में पढ़ सकते हैं
www.organdonationscotland.org/information-leaflet

अंग एवं ऊतक दान ऑप्ट आउट सिस्टम का आपके लिए क्या अर्थ है, यदि इसे समझने में आपको, आपके माता-पिता / संरक्षक या परिवार को और अधिक सहायता चाहिए हो, तो कृपया **0300 123 23 23** पर कॉल करें।